राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग

क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क–3/2004 जयपुर, दिनांक : 21 JUN 2013

परिपत्र

राजसेवकों की सेवानिवृत्ति के उपरान्त अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवाएँ (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 7(1) एवम् 7(2)(a) में निम्न प्रकार से प्रावधान वर्णित है –

7(1) - The Governor reserves to himself the right of withholding or withdrawing a pension or part thereof, whether permanently or for a specified period, and of ordering recovery from a pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Government, if in any departmental or judicial proceedings, the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of his service including service rendered upon re-employment after retirement.

Provided that the Rajasthan Public Service Commission shall be consulted before any fir al orders are passed:

Provided further that where a part of pension is withheld or withdrawn, the amount of such pension shall not be reduced below the amount of "rupees one thousand two hundred seventy five per mensem."

7(2)(a) - The departmental proceedings referred to in sub rule (1), if instituted while the Government servant was in service whether before his retirement or during his reemployment, shall, after the final retirement of the Government servant, be deemed to be proceedings under this rule and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the Government servant had continued in service :

Provided that where the departmental proceedings are instituted by an authority subordinate to the Governor, that authority shall submit a report recording its findings to the Governor.

उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि सेवानिवृत्त राजसेवकों के सम्बन्ध में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार जॉच कार्यवाही सम्पादित करके आरोप प्रमाणित पाए जाने की स्थिति में प्रथमतः प्रकरण से सम्बन्धित एक रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। जिस पर महामहिम राज्यपाल महोदय सेवानिवृत्त राजसेवक के विरूद्ध आरोप प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में आदेश प्रदान करेंगे। तदुपरान्त प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में अनुशासनिक प्राधिकारी निर्धारित प्रक्रियानुसार अनन्तिम रूप से समानुपातिक दण्डादेश प्रस्तावित करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त करेंगे एवम् आयोग का परामर्श प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण महामहिम राज्यपाल महोदय को अन्तिम रूप से निर्णयार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जावेगा। महामहिम राज्यपाल महोदय के अनुमोदन अनुसार ही अन्तिम आदेश प्रसारित होंगे।

समस्त अनुशासनिक प्राधिकारियों एवम् विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रक्रिया एवम् निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करावें।

(सी.के. मैथ्यू) 19/6/13
मुख्य सचिव

P.T.

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
4. समस्त संभागीय आयुक्त .... ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष सिस्टम एनालिस्ट, कार्मिक विभाग.................. ।
6. समस्त जिला कलक्टर .... ।
7. रक्षित पत्रावली।

(सी.के. मैथ्यू)
मुख्य सचिव